

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 07.05.2025

जनपद बलिया

1. थाना मनियर जनपद बलिया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 06.05.2025 को थाना मनियर पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जयराम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति पेण्डिंग विवेचना/गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिए मुखबीर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 101/25 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में वांछित अभियुक्तगण 1.विशाल बिन्द पुत्र दूधनाथ बिन्द उम्र 19 वर्ष 2.पारस बिन्द पुत्र मंगनी बिन्द उम्र 50 वर्ष निवासीगण ककरघट्टा थाना मनियर जनपद बलिया को रिंगवन ढाला के पास से समय करीब 08.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 -101/25 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मनियर बलिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता-

- 1.विशाल बिन्द पुत्र दूधनाथ बिन्द निवासी ककरघट्टा थाना मनियर जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष
- 2.पारस बिन्द पुत्र मंगनी बिन्द निवासी ककरघट्टा थाना मनियर जनपद बलिया उम्र 50 वर्ष

2- थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 06.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह का0 मनीष कुमार शुक्ला, का0 प्रिस सिंह व का0 शत्रुहन कुमार के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-174/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार सोनी पुत्र स्व0 परशुराम प्रसाद निवासी बालेश्वर मंदिर के पास थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 46 वर्ष को काजीपुरा रेलवे क्रासिंग के पास से समय करीब प्रातः 05.00 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0- 174/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना कोतवाली जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.अनिल कुमार सोनी पुत्र स्व0 परशुराम प्रसाद सा0 बालेश्वर मंदिर के पास थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 46 वर्ष

3- थाना दुबहड़ जनपद बलिया पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01अदद चोरी का मोबाईल फोन बरामद।

दिनांक 06.05.2025 को उ0नि0 श्री राजकुमार मय हमराह हे0का0 मनोज कुमार, का0 आलोक कुमार सिंह के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के क्षेत्र में मामूर थे कि दौराने चेकिंग मोबाइल चोरी करने वाला 01 नफर अभियुक्त रमायन यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी अखार थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र करीब 30 वर्ष को दाद के छपरा ईट भट्टे के पास समय 09.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की ओप्पो मोबाईल बरामद किया गया, तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना दुबहड़ जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रमायन यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी अखार थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद चोरी की ओप्पो मोबाईल